8. ग्राम पंचायत टोरडा तह0 सिकराय हाल तह0 बहरावण्डा जिला दौसा जरिये सरपंच।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा तह0 सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक 07.08.2024 बाबत नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 07.08.2024 वाके ग्राम टोरडा तह0 सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा।

अपीलाण्टस की ओर से श्री राकेश जैमन एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 22/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 971 ग्रा0प0 टोरडा पेश की गई जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि ग्राम टोरडा तह0 सिकराय वर्तमान तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 1512 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2004 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1766 रकबा 7 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2032 रकबा 12 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2033, 1995, 639 आदि है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2659, 2660, 2968, 3251, 3280, 3281, 3282, 3241, 3283, 3288 आदि है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोरडा तह0 सिकराय रहे है जो कि उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल अपीलाण्टस के पिता है। यह है कि मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की पत्नि तीजो का स्वर्गवास हो गया है मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल खातेदार कल्याण के 7 वारिस 3 पुत्र तथा 4 पुत्री है जो कि चेतन कुमार, नाथूलाल, बाबूलाल, शान्ति, कमला, सरोज, विमला है। मूल खातेदार कल्याण पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की फौतगी के बाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा ने कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाये सम्पूर्ण वारिसान की जांच किए बिना व बिना सहमति के व इकतरफा में कानून को ताक में रखते हुए संवैधानिक तरीके से केवल नाथूलाल बाबूलाल चेतन कुमार तीजो के पक्ष में नामान्तकरण खोल दिया और अपीलाण्टस के पक्ष में तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 6 एवं 7

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला जबकि कानूनन अपीलाण्टस शान्ति देवी, कमला, एवं रेस्पोडेण्टस सरोज, विमला के नाम भी विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था इसलिए विरासत का नामान्तकरण संख्या 668 बिना क्षेत्राधिकार के किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है अपीलाधीन नामान्तकरण बिना क्षेत्राधिकार के किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। तत्पश्चात विवादित भूमि का नामान्तकरण बयनामे के आधार पर रूकमणी के हक में नामान्तकरण संख्या 971 खोल दिया गया तथा उसके बाद रूकमणी द्वारा उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशी देवी पत्नि कजोडमल शर्मा के हक में अवैधानिक रूप से कराया गया बयनामा व अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में खोल गया नामान्तकरण संख्या 383 ग्राम टोरडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा अपीलान्टस के खिलाफ प्रारम्भ से ही कलेअदम बेअसर, प्रभावहीन व कानूनन शून्य है एवं नल एण्ड वोइड है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। मूल खातेदार स्व0 कल्याणसहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की विरासत का मूल नामान्तकरण संख्या 668 ग्राम टोरडा पर पटवारी हल्का ने जो सजरा गलत रूप से कल्याणसहाय के तीनो पुत्रों नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार व बेवा तीजो के नाम बनाया है यह सजरा गलत है। पटवारी हल्का ने इस सजरा खानदान में पुत्रियों का नाम अंकित नही किया है। इसलिए जब मूल नामान्तकरण संख्या 668 ही नल एण्ड वोईड है ऐसी स्थिति में इसके बाद उक्त भूमि के रूकमणी के हक में खोला गया नामान्तकरण व उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में खोला गया अपीलाधीन नमाान्तकरण संख्या 383 स्वतः ही निरस्तनीय है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

इत्यादि पर अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 2, 6, 7 की ओर से श्री दिनेश चन्द्र शर्मा ने यू0टी0 पेश किया लेकिन वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिए बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलाण्टस की पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी नियमानुसार अपीलाण्टस का हक हिस्सा है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलण्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिए, बिना नोटिस दिए एकपक्षीय नामान्तकरण संख्या 668 दर्ज किया तथा उसके बाद बयनामे के आधार पर रूकमणी के हक में नामान्तकरण संख्या दर्ज कर दिया तथा उसके बाद अपील विचाराधीन रहने के दौराने पुनः बयनामे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 383 दर्ज किया जो कि निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
बिकानेर जिला दौसा

हमने अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा ग्राम टोरडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 से आहत होकर यह अपील पेश की गई है।

ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण रूकमणी द्वारा बेचान किए जाने से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज किया गया है। इससे पूर्व विवादित भूमि के संबंध में ही ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा मूल विरासत नामान्तकरण संख्या 668 विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमे सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है। अपीलाण्टस द्वारा मूल नामान्तकरण संख्या 668 के विरूद्ध भी नामान्तकरण अपील पृथक से न्यायालय हाजा में पेश की गई है जिसमें पृथक से निर्णय पारित किया गया है तथा मूल नामान्तकरण खारिज कर तहसीलदार को पुनः सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। रेस्पोडेण्टस द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली पर उपलब्ध सजरे खानदान के संबंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि सजरा खानदान भी सही है एवं अपीलाण्टस कल्याण सहाय की विधिक वारिस है लेकिन ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668 दर्ज करते समय कल्याणसहाय के वारिसान में से अपीलाण्टस तथा सरोज, विमला के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पुत्रियों को अपने पिता की भूमि एवं सम्पत्ति में कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त नामान्तकरण में सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा कानूनन पिता की सम्पत्तियों पर पुत्रियों का भी समान हक एवं अधिकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण नहीं करके कानून गलती की है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। उक्त मूल विरासतन नामान्तकरण के बाद नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार पिसरान कल्याण सहाय व तीजो बेवा कल्याण सहाय ने भूमि का बेचान रूकमणी को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 971 भरा गया तथा रूकमणी द्वारा किए गए बेचान के आधार पर विचाराधीन नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 दर्ज किया गया है। पत्रावली एवं उभयपक्ष अधिवक्ता के अभिवचनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा में में ही विवादित भूमि के मूल विरासत नामान्तकरण संख्या 668 पेश की है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में जब मूल नामान्तकरण निरस्त किया जा चुका है यह नामान्तकरण मूल नामान्तकरण की अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान दर्ज किया गया है इसलिए मूल नामान्तकरण के पश्चात दर्ज की गई सभी प्रविष्टिया भी स्वतः ही

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक

निरस्त योग्य है तथा मूल नामान्तकरण के पुनः निर्णय पश्चात पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2024 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668, नामान्तकरण संख्या 971 तथा नामान्तकरण संख्या 383 पर पुनः विधिवत सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए कर पुनः निर्णय पारित कर नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा